



कार्यालय मुख्य आभियंता ( ज.क्षे. ) जबलपुर  
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर

CIN: U40109MP2002SGC015120  
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

SHED NO. 3, RAMPUR, JABALPUR, PHONE: 0761-2663987, 2702345 FAX No.0761-2665184,2665958 EMAIL : cejr9440000@gmail.com

क.मु.अ./ज.क्षे/मा.सं./स्था-11/एप्रेंटिस/1302

जबलपुर/दिनांक 12/06/17

// आदेश //

निदेशक एवं केंद्रीय क्षेत्रीय एप्रेंटिसशिप सलाहकार, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, पश्चिम क्षेत्र मुंबई के पत्र क्रमांक बी.ओ.ए.टी/सूचना/317203/जी.एस.एम./1855 दिनांक 09/10.05.2011 एवं पत्र क. बी. ओ.ए.टी./जी.एस.एल./317203/14906 दिनांक 10.01.2014 के परिपालन एवं मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा एवं प्रशा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर के द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशानुसार स्नातक/तकनीकी एप्रेंटिस के प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन क्र. 5221 दिनांक 06.12.2016 के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में स्नातक एवं इलेक्ट्रिकल संकाय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त निम्नलिखित उम्मीदवारों को एप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के अंतर्गत नियोजन हेतु चयनित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे उनके नाम के सम्मुख दर्शित वृत्त में नियत दिनांक को प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति देवें :-

क.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता/पति का नाम (सर्व श्री/कु.)	शैक्षणिक योग्यता	चयनित संवर्ग	गृह जिला	वृत्त का नाम जहाँ उपस्थिति देनी है
<b>स्नातक एप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल संकाय)</b>					
1	सौरभ वर्मा/ श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	जबलपुर	(संचा.संधा.) जबलपुर
2	शनी दिवाकर/ श्री संजय कुमार जैन	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	सिवनी	(संचा.संधा.) सिवनी
3	जयंत प्रजापति/ श्री शंकर प्रसाद प्रजापति	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	जबलपुर	(संचा.संधा.) जबलपुर
4	सजल तिवारी/ श्री सर्वेश तिवारी	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	जबलपुर	(संचा.संधा.) जबलपुर
5	प्रज्ञेश अग्रवाल/ श्री देवेन्द्र अग्रवाल	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	जबलपुर	(शहर) जबलपुर
6	जितेन्द्र कुमार पटेल/ श्री रामदयाल पटेल	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	शहडोल	(संचा.संधा.) कटनी
7	कु.रश्मि शुक्ला/ श्री कमलेश शुक्ला	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स)	सामान्य	जबलपुर	(शहर) जबलपुर
8	अभिनय सिंह सूर्यवंशी/ श्री अम्बिका प्रसाद सूर्यवंशी	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स)	अनु.जा.	कटनी	(संचा.संधा.) कटनी
9	कुशल बराड़े/ श्री सखाराम बराड़े	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स)	सामान्य	खण्डवा	(शहर) जबलपुर
10	अमित कुमार जैन/ श्री दीपचन्द्र जैन	बी.ई.(इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स)	सामान्य	दुर्ग (छत्तीसगढ़)	(संचा.संधा.) कटनी

10/10


तकनीकी एप्रेटिस (इलेक्ट्रिकल संकाय)					
1	अंकित शर्मा / श्री आदर्श शर्मा	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	अनूपपुर	(संचा.संधा.) कटनी
2	दुर्योधन रहांगडाले / श्री सुन्दरलाल रहांगडाले	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	बालाघाट	(संचा.संधा.) सिवनी
3	शैलेन्द्र कुमार पयासी / श्री देवेन्द्र कुमार	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	कटनी	(संचा.संधा.) कटनी
4	कृ.रक्षा भरणे / श्री थानेन्द्र भरणे	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	बालाघाट	(संचा.संधा.) सिवनी
5	ओमप्रकाश बारस्कर / श्री सुधाकर बारस्कर	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	कटनी	(संचा.संधा.) कटनी
6	कु.दीक्षा सार्वे / श्री डामाजी सार्वे	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	बालाघाट	(संचा.संधा.) सिवनी
7	अनिल कुमार पटेल / श्री रामनरेश पटेल	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	शहडोल	(संचा.संधा.) कटनी
8	गौरव विश्वकर्मा / श्री शरद विश्वकर्मा	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	सिवनी	(संचा.संधा.) सिवनी
9	विजेन्द्र कुमार यादव / श्री भागवत प्रसाद यादव	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	जबलपुर	(संचा.संधा.) जबलपुर
10	कपिल दुबे / श्री अशोक दुबे	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	बालाघाट	(संचा.संधा.) सिवनी
11	कु.रोशनी तिवारी / श्री अम्बिकेश्वर तिवारी	डिप्लोमा(इलेक्ट्रिकल)	सामान्य	जबलपुर	(शहर) जबलपुर

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :-

1. एप्रेटिस प्रशिक्षण एप्रेटिस अधिनियम 1961 एवं नियम 1992 के अन्तर्गत प्रशासित होगी तथा समय-समय पर संशोधित सभी नियम चयनित एप्रेटिस प्रशिक्षु पर लागू रहेंगे।
2. प्रशिक्षु को दिनांक 21.06.2017 को (अधिकतम 03 दिवस के अन्दर) उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. एप्रेटिस प्रशिक्षण केवल 01 वर्ष के होगा एवं प्रशिक्षण अवधि को किसी संविदा/नियमित पद पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।
4. स्नातक एप्रेटिस को प्रशिक्षण हेतु रूपये 4,984/- एवं तकनीकी एप्रेटिस को रूपये 3,542/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी।
5. एप्रेटिस प्रशिक्षु को संबंधित विभाग के कार्य के घण्टे के दौरान ही प्रशिक्षण दिया जावेगा।
6. एप्रेटिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को एक वर्ष में अधिकतम 12 आकस्मिक अवकाश, 15 चिकित्सा अवकाश एवं 10 दिवस का विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त व्यतीत किया गया अवकाश को भुगतान योग्य नहीं माना जावेगा। कोई भी अवकाश बिना पूर्व अनुमति के स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
7. प्रत्येक स्नातक/तकनीकी एप्रेटिस अपनी दैनंदनी तैयार कर प्रतिमाह नियंत्रणकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
8. अभ्यर्थी का आचरण एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही उनकी शिष्यवृत्ति का भुगतान नियमित रखा जा सकेगा।
9. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु के द्वारा किसी भी प्रकार के कदाचरण अथवा दुर्व्यवहार करने पर उसे प्रशिक्षण से निष्काषित किया जा सकेगा।
10. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु के स्थानान्तरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. प्रशिक्षण अवधि के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाये जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्रशिक्षु भत्ता से की जावेगी तथा उसे प्रशिक्षु का गंभीर दुराचरण माना जावेगा।

*Handwritten signature*

12. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
13. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की जवाबदारी नहीं रहेगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में किसी अन्य संस्थान/विभिन्न विद्युत कंपनियों में एप्रेटिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।
15. उपस्थिति के समय चयनित अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
16. संबंधित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक सक्षमता प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
17. चयनित एप्रेटिसों को प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् कंपनी में नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा।

  
मुख्य अभियंता (ज.क्षे.)


क्रमांक/मु.अ./ज.क्षे./मा.संसा./स्था-II/एप्रेटिस/  
प्रतिलिपि-

जबलपुर, दिनांक

1. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा एवं प्रशा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
  2. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा.)/ (शहर) वृत्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
  3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर/छिंदवाड़ा।
  4. श्री/श्रीमती/कु. ....
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नोट: क्रमांक 2 के लिये :-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों के एप्रेटिस प्रशिक्षण एवं उपस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 30.06.2017 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. नियोजित एप्रेटिस के दस्तावेजों का संधारण उन्हें प्रशिक्षु भत्ते का भुगतान वृत्त स्तर से ही किया जावेगा।
3. नियोजित एप्रेटिस का उनकी उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अंदर एप्रेटिसशिप सलाहकार, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल पश्चिम क्षेत्र मुम्बई के वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन करते हुये उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट कर एप्रेटिसशिप सलाहकार, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल पश्चिम क्षेत्र मुम्बई को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य अभियंता (ज.क्षे.)